186

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Mukesh Kumar Goel
Stamp Vendor
License No. 38
E-Stamping ACC ID - UP14140904
Tah. Sadar AGRA

Certificate No.	:	IN-UP90016344524497V
Certificate Issued Date	:	20-Apr-2023 03:07 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14140904/ AGRA SADAR/ UP-AGR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14140904743975547907 17V
Purchased by	:	RAVI KANT SHARMA
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	FOR TRUST DEED
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHRI RAM SHAKUNTLA EDUCATIONAL TRUST
Second Party	:	RAVI KANT SHARMA
Stamp Duty Paid By	:	RAVI KANT SHARMA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	800 (Eight Hundred only)

Please write or type below this line

STAMP ... R.C. LOCKED BY ...S.

JD 0031312353

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

1

श्री राम शकुन्तला एज्यूकेशनल ट्रस्ट

मैं कि रविकान्त शर्मा पुत्र श्री रामप्रकाश शर्मा निवासी 16ए/850 महर्षि परशुराम नगर शमशाबाद रोड आगरा का रहने वाला हूँ। भारत वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से पिछडे हुये है। भारत वर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के पठन पाठन की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है तथा इस प्रतियोगी दौर में स्वयं को स्तरबिहीन पाते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र /पिछडे क्षेत्र होने की वजह से लडकियों को पढ़ने नहीं भेजते है और वह अशिक्षित रह जाती है। यदि पिछडे व ग्रामीण क्षेत्रों कोई अच्छा विद्यालय होगा तो क्षेत्र के बच्चों को समुचित शिक्षा मिल सकेगी जो कि सर्वागीण विकास के लिये जरूरी है। अतः शैक्षिक रूप से ग्रामीण पिछड़े हुये क्षेत्रों में शिक्षा के समुचित साधन विकसित करने लिए ट्रस्ट की स्थापना करना चाहता हूँ जो स्कूल कॉलेज तकनीकि कॉलेज, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कॉचिंग संस्थान को खोल सकें जिससे प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हो सके व शिक्षित होकर समाजोत्थान व राष्ट्र नवनिर्माण में अद्वितीय भूमिका व अपनी जिम्मेदारीयों का निर्वाहन कर सके। शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास के माध्यम से समाज को नवनिर्माण की दिशा में अग्रसर करके एक सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। अतः मिनमुकिर एक एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना करना

चाहता है क्योकि शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रो में विद्यालयों की स्थापना कर विद्यालय संचालित किये जा सकें। अतः मिनमुकिर निम्नवत एक ट्रस्ट स्थापित करता है–

1. ट्रस्ट का नाम – श्री राम शकुन्तला एज्यूकेशनल ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का पता – 16ए/850 महर्षि परशुराम नगर, राजेश्वर मन्दिर के पास शमशाबाद रोड आगरा। 282001
3. शाखा कार्यालय – ट्रस्ट की शाखायें देश के अन्य स्थानों पर भी स्थापित की जा सकती है।
4. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र – सम्पूर्ण भारत वर्ष
5. ट्रस्ट का संस्थापक – रविकान्त शर्मा पुत्र श्री रामप्रकाश शर्मा निवासी 16ए/850 महर्षि परशुराम नगर, राजेश्वर मन्दिर के पास शमशाबाद रोड आगरा। 282001
6. ट्रस्ट की स्थापना की तिथि – 20.04.2022
7. ट्रस्ट का आरम्भिक घन/समत्ति – 11,000/– ग्यारह हजार रूपया इसके अतिरिक्त ट्रस्ट रजिस्टर्ड होने के समय कोई चल व अचल सम्पत्ति नही है।
8. ट्रस्टीगण के नाम व पता –
    1. श्री हरी प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामप्रकाश शर्मा निवासी महर्षि परशुराम नगर, राजेश्वर मन्दिर के पास शमशाबाद रोड आगरा। (अध्यक्ष)
    2. श्रीमती बबीता शर्मा पत्नी श्री हरीप्रकाश शर्मा निवासी महर्षि परशुराम नगर, राजेश्वर मन्दिर के पास शमशाबाद रोड आगरा। (कोषाध्यक्ष)
    3. श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री रविकान्त शर्मा निवासी 16ए/850 महर्षि परशुराम नगर, राजेश्वर मन्दिर के पास शमशाबाद रोड आगरा। (सचिव/प्रबन्धक)
    4. श्री रविकान्त शर्मा पुत्र श्री रामप्रकाश निवासी 16ए/850 महर्षि परशुराम नगर, राजेश्वर मन्दिर के पास शमशाबाद रोड आगरा। (सदस्य)
    5. ट्रस्ट का उद्देश्य –

आवेदन सं०: 202300766022376

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 186 वर्ष: 2023

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 800 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 580

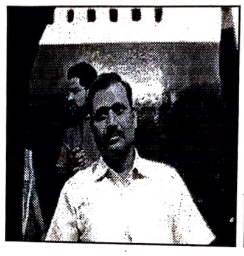

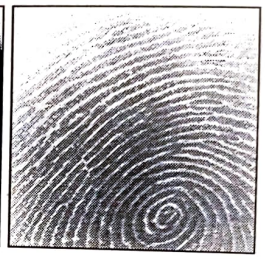

श्री रविकान्त शर्मा ,
पुत्र श्री रामप्रकाश शर्मा
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: महर्षि परशुराम नगर शमशबाद रोड आगरा।

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 20/04/2023 एवं 03:42:47 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अशोक कुमार सिंह
उप निबंधक सदर द्वितीय
आगरा
20/04/2023

हरषेन्द्र कुमार वशिष्ठ
निबंधक लिपिक
20/04/2023

1- ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा, विधि, तकनीकी व चिकित्सीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना है।

2- ट्रस्ट संस्था के उद्देष्य शिक्षा का प्रसार व प्रचार करना व बच्चों में नैतिक, सामाजिक, शारीरिक बौद्धिक कलात्मक, रचनात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना ।

3- ट्रस्ट का उद्देश्य निर्धन, असहाय, विकलांग बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना व उन्हें छात्रवृत्ति दिलाने की भी व्यवस्था करना।

4- ट्रस्ट का उद्देश्य क्रीडा केन्द्रों, व्यायामशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, एव खेल सामग्री की उचित व्यवस्था करना।

5- ट्रस्ट का उद्देश्य निर्धन, असहाय, विकलांग बच्चों को निशुल्क सिलाई, कढाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्प कम्प्यूटर, टाइपिंग, आदि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वित कर उन्हें स्वरोजगार एंव आत्म निर्भर बनना ।

6- ट्रस्ट संस्था का उद्देश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में प्राईमरी से लेकर उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा तक के स्कूलों, कॉलेजों एवं महाविद्यालयों तकनीकी महाविद्यालयों तैयारी के लिए कॉचिंग संस्थानो प्रतिभा परीक्षाओं की स्थापना करके संचालन करना।

7- संस्था का उद्देश्य बच्चों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाने हेतु उन्हें निशुल्क तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर एंव योग्य नागरिक बनाना व राष्ट्र विकास में सहयोग करना।

आवेदन सं०: 202300766022376

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 186 वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री रविकान्त शर्मा, पुत्र श्री रामप्रकाश शर्मा

निवासी: महर्षि परशुराम नगर शमशबाद रोड आगरा।

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अमित , पुत्र श्री बच्चू सिंह

निवासी: ग्राम चितौरा शमशाबाद आगरा।

व्यवसाय: व्यापार

पहचानकर्ता : 2

श्री मनोज कुमार, पुत्र श्री घूरेलाल

निवासी: कहरई मोड शमशाबाद रोड आगरा।

व्यवसाय: व्यापार

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अशोक कुमार सिंह

उप निबंधक : सदर द्वितीय

आगरा

20/04/2023

ने की। प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।

टिप्पणी :

हरषेन्द्र कुमार वशिष्ठ

निबंधक लिपिक आगरा

20/04/2023

8- संस्था का उद्देश्य युवाओं में शारीरिक शिक्षाए व्यायाम तथा विषेश रुप से योग शिक्षा के प्रति जागरुकता तथा इसके प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करना कि जिससे कि युवा पीढी स्वस्थ रहे तथा राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे।

9- असहाय वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम खोलना तथा उन्हें संचालित करना जिससे वह आत्म सम्मान के साथ अपना जीवन निर्वाह कर सके।

10- चिकित्सालयों व चिकित्सीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर उन्हें संचालित करना तथा भारतीय चिकित्सा पद्वितियों प्राकृतिक चिकित्साए आयुर्वेद आदि को प्रोत्साहित करना ।

10. **ट्रस्ट के लाभार्थी** - उक्त ट्रस्ट एक पब्लिक चैरिटेबिल ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया जा रहा है तथा इसका उद्देश्य शिक्षण संस्थान स्थापित कर उनका संचालन करना है तथा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करना है अतः उक्त ट्रस्ट द्वारा स्थापित विद्यालय होंगे उक्त ट्रस्ट से जो भी आय होगी वह शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास व नये शिक्षण संस्थान खोलने एवं उनके संचालन व ट्रस्ट के अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च की जावेगी।

11. ट्रस्टीगण . संस्था में निम्न प्रकार के ट्रस्टीगण होंगे।

(i) **कुल क्रमागत ट्रस्टीज** – वह ट्रस्टीज जिन्होंने ट्रस्ट की स्थापना में विषेश सहयोग किया कुल क्रमागत ट्रस्टीज़ होगें ऐसे ट्रस्टीज को अपना उत्तराधिकारी अपने जीवनकाल में नामित करने का अधिकार होगा। यदि वह अपना उत्तराधिकारी नामित न कर सके शेष वर्तमान ट्रस्टीज उसके उत्तराधिकारियों में से

उसके रिक्त पद
ट्रस्टी है। क
तथा उन्हें

उसके रिक्त पद की पूर्ति कर लेंगें। संस्था के वर्तमान तीनों ट्रस्टी कुल क्रमागत ट्रस्टी है। कुल क्रमागत ट्रस्टी के उत्तराधिकारी भी कुल क्रमागत ट्रस्टी होंगें तथा उन्हें ही कुल क्रमागत ट्रस्टी का पूरा लाभ मिलेगा।

(ii) सामान्य ट्रस्टी . कुल क्रमागत ट्रस्टी आवश्यकता पड़ने पर अन्य ट्रस्टी सर्वसम्मानित से मनोनीत कर सकेगा। जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा तथा वह पुनः भी ट्रस्टी बन सकते है। सामान्य ट्रस्टीज को अपना उत्तराधिकारी नामित करने का अधिकार नहीं होगा। उनके रिक्त स्थान की पूर्ति कुल क्रमागत ट्रस्टीज के द्वारा सर्वसम्मानित के आधार पर की जायेगी।

(iii) पदेन ट्रस्टीज – ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों में प्रमुख प्रधानाध्यापक पदेन ट्रस्टी होंगे परन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा और न ही उनकी उपस्थिति गणपूर्ति के लिए देखी जायेगी।

12. **ट्रस्ट मण्डल** - सभी प्रकार के ट्रस्टीज से मिलकर ट्रस्ट मण्डल का गठन होगा।

13. **ट्रस्ट की बैठक** - सभी ट्रस्टीगण की बैठक वर्ष में चार आवश्यक रूप से होंगी तथा आवश्यकता पढ़ने पर अथवा अध्यक्ष के निर्देष पर सचिव द्वारा बैठक आवश्यक रूप से बुलाई जायेगी।

14. **बैठक का कोरम** - ट्रस्ट की बैठकों हेतु 2/3 ट्रस्टीज के दो की उपस्थिति आवश्यक होगी।

15. **ट्रस्टीयों के अधिकार एवं कर्तव्य** - ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करना। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का निर्वाचन आदि करना। वार्षिक बजट एवं वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना संस्था की उप.समितियों का गठन करना एवं उनके लिए नियम इत्यादि बनाना ।

16. ट्रस्ट के पदाधिकारी ट्रस्ट के निम्न पदाधिकारी होंगे।

(i) अध्यक्ष
(ii) सचिव
(iii) कोषाध्यक्ष

17. **ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कार्यकाल** - ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कार्यकाल अपने चुने जाने से पाँच वर्ष होगा।

18. **ट्रस्ट पदाधिकारियों का निर्वाचन** - पदाधिकारियों का कार्यकाल रागाप्त होने पर नया निर्वाचन कराया जायेगा जिसमें सभी कुल क्रमागत ट्रस्टीज व सामान्य ट्रस्टीज भाग लेंगे परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष व सचिव का निर्वाचन कुल क्रमागत ट्रस्टीज में से ही किया जायेगा। परन्तु प्रत्येक पदाधिकारी अपना उत्तराधिकारी चुने रहने तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा।

19. **ट्रस्टीगण को पद से हटाना** - यदि कभी कोई सामान्य ट्रस्टी निष्क्रीय हो जावे अथवा उसकी गतिविधियों संस्था के हित में न हों तो ट्रस्टीगण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे ट्रस्टी के पद से हटा सकेंगे। प्रस्ताव पारित होने के तुरन्त पश्चात वह पद से पृथक माना जायेगा। परन्तु कुल क्रमागत ट्रस्टी पद से हाटया नही जा सकेगा।

20. **रिक्त स्थान की पूर्ति -** सभी ट्रस्टीगण जीवनपर्यन्त ट्रस्टी के रूप में कार्य करते रहेंगे परन्तु यदि कभी किसी ट्रस्टी के निधन से अथवा त्यागपत्र स्वीकृत होने से अथवा पद से हटाने से किसी ट्रस्टी का पद रिक्त हो जाता है। तो उसकी पूर्ति शेष ट्रस्टीयों के द्वारा की जायेगी। इसी प्रकार यदि किसी पदाधिकारी का पद रिक्त हो जाता है। तो उसकी पूर्ति भी ट्रस्टीगण के द्वारा की जायेगी।

21. **पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य** – अध्यक्ष. ट्रस्ट की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना। समान मत आने पर निर्णायक मत देना। संस्था की चल. अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना। संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य जो भी आवश्यक कार्य हो सभी कार्य करना ।

सचिव - संस्था की बैठक बुलाना एवं बैठक की सूचना सदस्यों तक पहुँचाना। बैठकों की कार्यवाही लिखना संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना तथा उसका प्रचार व प्रसार करना। दान लेना तथा चन्दा प्राप्त आय को संस्था के कोष में जमा करना। संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना संस्था की ओर से पत्राचार करना संस्था की ओर से कानूनी कार्यवाही करना तथा संस्था की ओर से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण लेने अथवा इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करने तथा प्रपत्र निष्पादित करने का दायित्व भी सचिव का होगा।

कोषाध्यक्ष – संस्था के आय.व्यय का विवरण रखना तथा संस्था के कोष को बैंक में जमा कराना।

22. **ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था -** ट्रस्ट का सभी धन किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान में खाता खोलकर जमा कराया जावेगा जिसका संचालन सचिव के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

23. **ट्रस्ट द्वारा स्थापित विद्यालयों का प्रबंन्धन** - ट्रस्ट द्वारा जो भी शिक्षण संस्थान स्थापित किये जायेंगे उनका प्रबन्धन ट्रस्ट मण्डल अथवा ट्रस्ट मण्डल द्वारा गठित एक प्रबन्ध समिति के हाथों में होगा उक्त प्रबन्ध समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा परन्तु यदि ट्रस्टीगण की आमराय हो कि उक्त प्रबन्ध समिति विधिवत कार्य संचालन नहीं कर रही है तो वह 2/3 बहुमत से कभी भी प्रबन्ध समिति का भंग कर उसके स्थान पर नयी प्रबन्ध समिति का गठन कर सकेंगे। अथवा उसका प्रबन्धन ट्रस्ट मण्डल अपने हाथ में ले सकेंगे। लेकिन क्रमागत ट्रस्टी पद से नही हटाये जा सकेगें।

24. **ट्रस्ट का विघटन** – यदि कभी ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में सफल न हो पाये तो ट्रस्ट की सम्पत्ति ट्रस्ट के संस्थापक के पास पहुँच जायेगी।

प्रतिबन्धों की बाध्यतायें –

1. यह कि विद्यालय की प्रबन्धक समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
2. यह कि विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट का समय समय पर नवीनीकरण कराया जावेगा।
3. यह कि विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनु0जाति/जनजाति के मेघावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जावेगा।
4. यह कि संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फौर द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. यह कि संस्था से शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्रापत शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान नहीं दिया जायेगा।

6. यह कि कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत का लाभग उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. यह कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे। संस्था उनका पालन करती रहेगी।
8. यह कि विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. यह कि उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो के छात्रों को अनुमन शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।
10. यह कि विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जा रही है तथा भविषय में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाई जायेगी।
11. यह कि उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा। विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। यदि हॉ तो कृपा प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें। यह कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम 1 से 11 तक स्वीकार हैं तथा इस ट्रस्ट का फण्ड 11000/– रू0 जिस पर नियमानुसार स्टाम्प 800/– रू0 का अदा किया जा रहा है। ट्रस्ट के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।

अतः उक्त ट्रस्टडीड के आधार पर उक्त ट्रस्ट का गठन कर ट्रस्टडीड निष्पादित कर दीए ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे। तहरीर तारीख 20.04.2023 को ट्रस्ट डीड निष्पादित की गयी। वमसौदा रामप्रकाश शर्मा दस्तावेज लेखक सदर तहसील आगरा।

गवाह – अमित पुत्र श्री बच्चू सिंह निवासी ग्राम चितौरा शमशाबाद आगरा।

गवाह – मनोज कुमार पुत्र श्री घूरे लाल निवासी कहरई मोड शमशाबाद रोड आगरा।

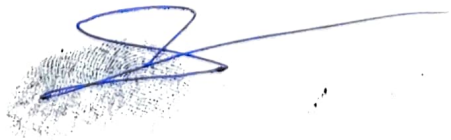

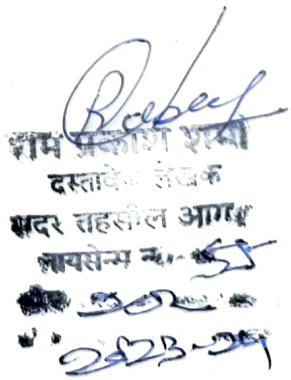

आवेदन सं०: 202300766022376

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 736 के पृष्ठ 339 से 364 तक क्रमांक 186 पर दिनाँक 20/04/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अशोक कुमार सिंह
उप निबंधक : सदर द्वितीय
आगरा
20/04/2023